

अंचल अधिकारी का कार्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम

पत्रांक 449

दिनांक 2/3/21

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
जमशेदपुर ।

सेवा में,

विशेष पदाधिकारी,
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति,
जमशेदपुर ।

विषय : Plot No. 566, Khata No. 3, Thana No. 1156, Mouza-Sonari, जमशेदपुर अक्षेस के भूखण्ड के जाँच के संबंध में ।

प्रसंग : आपका पत्रांक 415, दिनांक 09.02.2021 ।

महाशय,


उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में राजस्व कर्मचारी से राजस्व कागजातों के आधार पर जाँच कराया गया । जाँचोपरान्त उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-सोनारी, थाना न०-1156 खाता नं०-3 प्लॉट नं०-566 का पंजी II के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्ता, धालभूम के नामान्तरण अपील वाद सं०-16/19-20 एवं 15/19-20 के द्वारा नामान्तरण करने का आदेश पारित किया गया है, जिसके आलोक में नामान्तरण करते हुये जमाबंदी कायम किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमाबंदी रैयत का नाम	भाग-पृष्ठ
1	3	566	7.48 Decimal	Manju Khetan, W/o Santosh Khetan Mutation Case No. 1255/R27/2020-21	51-54
2	3	566	7.48 Decimal	Nidhi Khetan, W/o Anubhav Khetan Mutation Case No. 1256/R27/2020-21	51-53

आवेदित भूमि साविक सर्वे वर्ष 1934-37 खतियान में प्रहलाद महतो, पिता मोतीलाल महतो, जाति कुर्मी के नाम पर दर्ज है जो सी.एन.टी. एक्ट के अन्तर्गत है । वर्तमान रैयत सी.एन.टी. एक्ट के अन्तर्गत नहीं है एवं भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है । वार्षिक लगान वर्ष 2020-21 तक भुगतान किया गया है ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विश्वासभाजन


अंचल अधिकारी
जमशेदपुर